

प्रश्न सं. [क. 1123]

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वैशाली

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13/09/2012

क्रमांक एफ 1-112/2012/38-1: राज्य शासन द्वारा अक्त पदों वाले एवं दूरस्थ स्थित महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराने के लिए महानगरों एवं जिला मुख्यालयों के महाविद्यालयों में पदस्थ प्रतिभावान् शैक्षणिक अधिकारियों को दो-दो माह की अवधि के लिए डिप्लॉय करने हेतु, आयुक्त उच्च शिक्षा को अधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Bhadwar

(सी०बी०पड़वार)

उप सचिव

म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 13/09/2012

पृ.क्र. एफ 1-112/2012/38-1
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 3 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग म०प्र०।

Shrey
09/07/19